उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 63वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 19.01.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.01.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य/सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
8. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
11. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार, प्रोक्योरमेन्ट सेल, यूपीडा।
13. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार, प्रोक्योरमेन्ट सेल, यूपीडा।
14. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
15. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 63वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 62वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.2020 को सम्पन्न 62वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.2020 को सम्पन्न हुई 62वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **उ0प्र0 रक्षा तथा एयरोस्पेस एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के (प्रथम संशोधन) 2019 के प्रस्तर–3.3(2) i में दिनांक 11 जनवरी 2021 को हुए संशोधन विषयक।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को अधिसूचना दिनांक 11.01.2020 में किये गये संशोधन से अगत कराया गया। अधिसूचना का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा संशोधन को स्वीकार किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–04:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति**

कार्यवाही / निर्णय मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि माइलस्टोन–1 परियोजना जिसकी निर्धारित तिथी 22.08.2020 थी को समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया था, एवं परियोजना का माइलस्टोन–2 जिसकी निर्धारित तिथी 18.07.2020 है, में वर्तमान में पैकेज–4 व 5 द्वारा समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है एवं शेष पैकेजो द्वारा भी समय से पूर्व प्राप्त कर लिया जायेगा। उक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना के कार्य की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का अनुमोदन**

कार्यवाही / निर्णय मुख्य अभियन्ता, द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड परियोजना में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पैकेज–2 एवं 3 में कुल 3 चेंज ऑफ स्कोप के प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक**

कार्यवाही / निर्णय यूपीडा के वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा प्राविधानित बजट एवं शासन स्तर से जारी वित्तीय स्वीकृतियों के लेखा जोखा से अवगत कराया गया। निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-02 के अन्तर्गत जनपद- आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में ।**

कार्यवाही / निर्णय सलाहकार भू–अर्जन द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत पैकेज–2 में परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत आने वाली भूमि के क्रय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **"पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना" के पैकेज–3 के ग्राम महुली तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर के 0.1006 हे0 संरेखण से अतिरिक्त भूमि का अनुमोदन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय सलाहकार भू–अर्जन द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, पैकेज–3, ग्राम महुली, तहसील बल्दीरय में जनपद सुल्तानपुर के 0.1006 हे0 अतिरिक्त भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल एकत्रित करने हेतु पूर्व एजेन्सी मे0 ईगल ईन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा लॉकडाउन अवधि में अनुबन्ध के Force majeure Clause के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की मांग, अदेयता प्रमाण-पत्र तथा परफॉरमेन्स सिक्योरिटी हेतु जमा बैंक गारण्टी अवमुक्त किये जाने सम्बन्धित अनुरोध के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर टोल एकत्रित करने हेतु पूर्व चयनित एजेन्सी मे0 ईगल इन्फ्रा इंण्डिया लि0 के साथ निष्पादित अनुबन्ध के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 14.10.2019 तक टोल एकत्रित किया जा रहा था। उक्त एजेंसी ने दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 10.05.2020 तक लॉकडाउन होने के कारण अनुबन्ध के Force Majeure clause के प्राविधानो के अन्तर्गत **रू0 34,32,59,851/–** (रू0 **चौतीस करोड़ बत्तीस लाख उन्सठ हजार आठ सौ इक्यावन मात्र**) के प्रतिपूर्ति की मांग की गयी थी। उक्त के कम में उक्त अवधि में यूपीडा को एजेन्सी से प्राप्त होने वाली धनराशि जो रू0 34,08,12,880/– आगणित हो रही थी जिसमें से एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 7,95,92,150/– के

समायोजन के पश्चात् यूपीडा को एजेन्सी से अवशेष धनराशि रू0 26,12,20,730/– प्राप्त होनी थी। मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के Force Majeure claim की धनराशि के औचित्य के परीक्षण हेतु मेसर्स अजय शंकर एण्ड कम्पनी, लखनऊ (चार्टेड एकाउन्टेंट) को नियुक्त किया गया था। चार्टेड एकाउन्टेंट ने टोल प्लाजा पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त अनुबन्ध के प्राविधान Force Majeure के अन्तर्गत क्लेम की गयी धनराशि के सापेक्ष मात्र **रू0 22,91,85,160/–** (रू0 बाइस करोड़ इक्यानवें लाख पच्चासी हजार एक सौ साठ मात्र) को औचित्य पूर्ण बताया गया था।

2– निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के साथ दिनांक 12.09.2018 को निष्पादित अनुबन्ध के आर्टिकल 26 (ii) (5) में Force Majeure के अन्तर्गत देय छूट के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:–

"The relief under Force Majeure will be calculated on the basis of average collection per day, arrived based on the agreed weekly remittance. The difference in collection per day during Force Majeure and average amount of collection per day, arrived based on agreed weekly remittance multiplied by the number of days of Force Majeure will be payable to the Contractor."

उपरोक्तानुसार मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा क्लेम की गयी धनराशि के सापेक्ष चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा आगणित की गयी औचित्य पूर्ण धनराशि रू0 22,91,85,160/– को एजेन्सी द्वारा देय अवशेष धनराशि में से घटाते हुए पाया गया कि उक्त अवधि में एजेन्सी से यूपीडा को रू0 3,20,35,570/– (26,12,20,730 – 22,91,85,160) कम प्राप्त हुयी। इस प्रकार धनराशि रू0 3,20,35,570/– एजेन्सी से वसूली योग्य आगणित होती है।

कालान्तर में इस बिन्दु पर दिनांक 17.10.2020 को एजेन्सी प्रतिनिधि के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त अवशेष धनराशि पर सहमति प्रकट करते हुए एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0– COVID-19/RoadMap/JS (H)/2020 दिनांक 28.05.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में लॉकडाउन अवधि में एजेन्सी द्वारा किये गये प्रशासनिक व्यय को यूपीडा द्वारा भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में इस बिन्दु पर यह मत स्थिर हुआ था कि एजेन्सी द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रशासनिक मदों पर किये गये व्यय की धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र यूपीडा को प्रस्तुत किये जायें जिनका परीक्षण चार्टेड एकाउन्टेंट से कराकर यथोचित निर्णय लिया जाये।

उक्त बैठक के कम में एजेन्सी द्वारा प्रशासनिक मदों पर हुये व्यय रू0 3,75,81,460/– के प्रपत्र प्रस्तुत किये गये जिसे यूपीडा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 3,11,39,231 /– आंकलित करते हुए चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

3– निदेशक मण्डल की बैठक में अवगत कराया गया है कि कोविड–19 के लॉकडाउन के फलस्वरूप फोर्स मेजर के अन्तर्गत मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के उपर्लिखित क्लेम तथा यूपीडा द्वारा नामित चार्टेड एकाउन्टेंट की रिपोर्ट पर अग्रेतर विचारोपरान्त मत स्थिर हुआ था कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय, द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0– COVID-19/RoadMap/JS (H)/2020 दिनांक 18.05.2020 के अनुसार मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा लॉकडाउन अवधि दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 10.05.2020 तक प्रस्तुत क्लेम, दिनांक 26.03.2020 से 10.05.2020 तक होना चाहिए।

मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के क्लेम दिनांक 26.03.2020 से 10.05.2020 तक निर्धारित किये जाने के फलस्वरुप अनुबन्ध के प्राविधान Force Majeure के अन्तर्गत एजेन्सी को देय Compensation हेतु चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा रू0 22,91,85,160/– के स्थान पर **रू0 21,90,56,703/–** की राहत का आगणन किया गया था।

4– निदेशक मण्डल को अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार Force Majeure के अन्तर्गत एजेन्सी को देय Compensation रू0 **21,90,56,703/–** की धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त एजेन्सी से वसूली योग्य पूर्व में आगणित धनराशि रू0 3,20,35,570/– से बढ़ा कर रू0 4,21,64,027/– आंकलित की गयी है। तद्नुसार मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को उक्त शेष धनराशि रू0 4,21,64,027/– के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया था तथा मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के लॉकडाउन अवधि में एजेन्सी द्वारा किये गये प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित क्लेम के सम्बन्ध में उनसे कहा गया था कि भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0– COVID-19/RoadMap/JS (H)/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा प्राविधानित प्रारूप में अपना क्लेम यूपीडा के विचारार्थ प्रस्तुत करें। मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा उपरोक्तानुसार आंकलित शेष देय धनराशि रू0 4,21,64,027/– का भुगतान दिनांक 13.01.2021 को यूपीडा के खाते में जमा करते हुये अपने पत्र संख्या–Eagle/UPEIDA/Lucknow/Agra-LucknowExp-Way / 2021 /37 दिनांक 13.01.2021 द्वारा इंगित किया गया था कि उनके द्वारा रू0 4,21,64,027/– का उक्त भुगतान Under Protest किया गया है। मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा रू0 4,21,64,027/– का भुगतान करते हुये यह भी अनुरोध किया गया

था कि उनके द्वारा परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में जमा की गयी रू0 18.49 करोड़ की बैंक गारण्टी अवमुक्त कर दी जाये।

5— बैठक में अवगत कराया गया कि मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के साथ दिनांक 12.09.2018 को निष्पादित अनुबन्ध के आर्टिकल 18 ए) बी) के अन्तर्गत परफारमेन्स बैंक गारण्टी अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:—

"Performance Security shall be refunded within 90 days after settlement of all the accounts by the Contractor and upon issuance of No Dues Certificate by the Authority. No Dues Certificate shall be issued not later and within 7 days after settlement of accounts."

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त पर विस्तृत विचार—विमर्शोपरान्त निम्नवत् बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया:—

क— मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के साथ दिनांक 12.09.2018 को निष्पादित अनुबन्ध के आर्टिकल 26 (ii) (5) में Force Majeure के अन्तर्गत देय छूट के सम्बन्ध में दिये गये प्राविधान के अनुसार मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 को लॉकडाउन अवधि दिनांक 26.03.2020 से 10.05.2020 तक अनुमन्य राहत (Compensation) के रूप में **रू0 21,90,56,703/—** की छूट प्रदान किया जाना।

ख— उपरोक्त Compensation की धनराशि **रू0 21,90,56,703/—** को मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा देय कुल शेष धनराशि रू0 26,12,20,730/— में से घटाते हुये एजेन्सी द्वारा देय शेष धनराशि रू0 4,21,64,027/—की वसूली।

ग— मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि रू0 4,21,64,027/— को बिना किसी Protest के जमा करने सम्बन्धित उनके द्वारा सहमति पत्र प्रदान करने के पश्चात् यूपीडा द्वारा अदेयता प्रमाण—पत्र (No Dues Certificate) जारी करने तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में जमा बैंक गारण्टी को अवमुक्त किये जाने हेतु।

घ— मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 के लॉकडाउन अवधि में एजेन्सी द्वारा किये गये प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित क्लेम के सम्बन्ध में उनके द्वारा भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0—COVID-19/RoadMap/JS (H)/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा प्राविधानित प्रारूप में अपना क्लेम प्रस्तुत करने के उपरान्त उस पर अलग से परीक्षण करने हेतु।

एजेण्डा बिन्दु–10:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ताओं को कोविड–19 आपदा के कारण समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में :–

कार्यवाही / निर्णय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज–02 से 08 में अक्टूबर, 2018 एवं पैकेज–01 में नवम्बर, 2018 से निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर प्रगति में है। निर्माण पूर्ण करने की तिथि पैकेज–02 से 08 में 08.10.2021 एवं पैकेज–01 में 22 नवम्बर,2021 है। प्रदेश एवं सम्पूर्ण देश में कोविड–19 महामारी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण देश में जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था, जिससे निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी हो गई थी एवं कार्यस्थलो पर ठेकेदारो को उपलब्ध मैनपावर में कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण कमी आने से कार्य प्रभावित हुआ था। फलस्वरूप निर्माण कार्य को निर्धारित समय से पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

भारत सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं से अवगत होते हुए कार्यदायी संस्थाओं को कार्य पूर्ण कराने हेतु परिपत्र संख्या COVID-19/RoadMap/JS(H)/2020 dated 18.05.2020 एवं 03.06.2020 के द्वारा अनुबन्ध के अंतर्गत फोर्स मेजर इवेन्ट होने पर 03 से 06 महीने के लिये समयवृद्धि दिये जाने की राहत प्रदान की गई थी। वर्तमान प्रस्ताव द्वारा निर्माणकर्ताओं के अनुरोध एवं अथॉरिटी इंजीनियरर्स–1 एवं 2 के द्वारा की गई संस्तुति के परिपेक्ष्य में अथॉरिटी इंजीनियर–1 एवं 2 को निर्माणकर्ताओं को 03 महीने की अन्तरिम समयवृद्धि दिया जाना प्रस्तावित है। यद्यपि यह समय 03 से 06 माह का दिया जाना था, किन्तु कार्यहित में वर्तमान प्रस्ताव में अन्तरिम रूप में 03 माह का समय दिया जाना ही प्रस्तावित है। भविष्य में कार्य की प्रगति को देखते हुए समयवृद्धि पर पुनः विचार किया जायेगा। प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:–

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 की भूमियों पर बिना किसी विधिक आवंटन के निर्मित तथा धारा–77 की भूमियों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराकर, परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता को करने एवं श्रेणी–6(2) की भूमि एवं परिसम्पत्ति दोनों का मूल्यांकन सक्षम स्तर से कराकर भूमि एवं परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता / अध्यासी को करने के प्रस्ताव।

कार्यवाही / निर्णय

सलाहकार भू–अर्जन द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के जनपद–अम्बेडकर नगर के तहसील आलापुर व जलालपुर तथा जनपद–आजमगढ़ के परियोजना प्रभावित ग्रामों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 व धारा–77 तथा श्रेणी–6(2) की भूमियों पर स्थित परिसम्पत्तियों के आकलित धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के पत्र दिनांक 26.12.2020 में अवगत कराया गया है कि धारा–59 व धारा–77 तथा श्रेणी–6(2) की भूमियों पर स्थित परिसम्पत्तिया 10 से 65 वर्ष पुरानी है तथा इसी अवधि से इन परिसम्पत्तियों के स्वामी एवं उनका परिवार स्थायी रूप से भूमि पर

निवासरत/काबिज है। चूँकि ऐसी भूमियों के कब्जेदार उस पर लम्बे समय से काबिज है, ऐसी स्थिति में बिना विधिक कार्यवाही के परिसम्पत्तियों को जबरन हटाये जाने से क्षेत्र में आक्रोश उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि ऐसी भूमियों के कब्जेदार अवैध कब्जा करके परिसम्पत्ति का निर्माण किये है, परन्तु उनके द्वारा परिसम्पत्ति के निर्माण में कुछ न कुछ धनराशि अवश्य खर्च की गयी है। यदि उन्हें उनके द्वारा परिसम्पत्ति के निर्माण में खर्च की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति, परिसम्पत्ति का मूल्यांकन कराकर कर दिया जाए तो समयान्तर्गत अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध हो सकती है एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी से बचा जा सकता है। पूर्व में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत ग्राम समाज/शासकीय भूमि पर स्थित निर्माण/ढांचा का मूल्यांकन कराकर उसकी धनराशि निर्माणकर्ता/अध्यासी को भुगतान करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। अतः आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के भांति गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना संरेखण में ग्राम समाज / आबादी की भूमि पर स्थिति परिसम्पत्तियों एवं कब्जे पर निर्मित परिसम्पत्तियों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराकर, परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता को करने एवं श्रेणी–6(2) की भूमि एवं परिसम्पत्ति दोनों का मूल्यांकन सक्षम स्तर से कराकर भूमि एवं परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता/अध्यासी किये जाने का प्रस्ताव है।

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मुख्य सचिव के स्तर से लिये गये निर्णय का अनुश्रवण करते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 की भूमियों पर बिना किसी विधिक आवंटन के निर्मित तथा धारा–77 की भूमियों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराकर, परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता को करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु पी.पी.पी. मोड में आर.एफ.क्यू./आर.एफ.पी आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में:–**

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य महाप्रबन्धक गंगा एक्सप्रेसव द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के 12 पैकेजों हेतु सिविल निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत रू. 22144 करोड (जी.एस.टी. सहित) की डी.पी.आर. शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित है। सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रथम विकल्प के रूप में पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मॉडल हेतु संभावित निवेशकों की अभिरुचि परखने के लिए दिनांक 08.01.2021 को नॉन बाइंडिग ई.ओ.आई. आमंत्रित किया गया। दिनांक 11.01.2021 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में परियोजना परामर्शी एवं यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

जिसमें प्राप्त ई.ओ.आई. पर विचार किया गया है एवं कुल 11 निदेशकों द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के प्रस्ताव दिये गये। प्रस्ताव में कई निवेशकों द्वारा विभिन्न पैकेज को मिलाकर ग्रुप के अनुसार आर. एफ.क्यू./आर.एफ.पी. आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया है। 02 निवेशकों द्वारा 03–04 पैकेज, 04 निवेशकों द्वारा 02–03 पैकेज एवं 01 निवेशक द्वारा 02 पैकेज के ग्रुप बनाने हेतु सुझाव दिया गया है। परियोजना परामर्शी द्वारा 20 वर्ष की डिजाइन अवधि एवं 03 वर्ष की निर्माण अवधि के अनुसार डी.पी.आर. तैयार किये गये है। अतः कन्शेसन पीरियड 23 वर्ष रखते हुए पैकेज 01 से 12 तक के कार्य हेतु कम से 03–03 पैकेज के ग्रुप बनाकर पी.पी.पी. टोल मोड पर निवेशकों से एन.एच.ए.आई. में पी.पी.पी. (टोल)–डी.बी.एफ.ओ.टी. प्रकिया हेतु प्रचलित अभिलेखों एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार आर.एफ.क्यू./आर.एफ.पी. आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णय

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा में संविदा पर तैनात कर्मियों का कार्यकाल परियोजना में उनकी आवश्यकता की दृष्टिगत समय समय पर बढ़ाया जाता है, एवं आवश्यकता न होने पर समाप्त भी किया जाता है। 62वी निदेशक मण्डल की बैठक के उपरान्त कुल 16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यकाल का विस्तार किया गया। परियोजनाओं में भू–अर्जन कार्य हेतु 05 राजस्व कर्मियों एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रसेवे पर 01 लेखाकार की नियमानुसार संविदा तैनाती की गई, साथ यह भी अवगत कराया कि 63वी बोर्ड बैठक में अधिकतम आयू सीमा निर्धारण उपरान्त 03 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई, एव 02 सहायक प्रबन्धक 01 प्रबन्धक 01 मुख्य सुरक्षा अधिकारी की संवदिा सेवा उनकी कार्य आवश्यकता न होने से संविदा नियुक्ति समाप्त की गई। उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों का संक्षिप्त विवरण।**

कार्यवाही/निर्णय

विधि परामर्शी यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में प्रचलित क्रमशः 102 एवं 48 वादों की सूची अद्यतन स्थिति दिनांक 15.01.2021 तक अवलोकित कराई गई। उक्त का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश में "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" का क्रियान्वयन : आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे केपथकर-राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव**

कार्यवाही / निर्णय

वरिष्ठ सलाहकार, वित्तीय संस्थाएं द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पथ-कर संग्रहण का मुद्रीकरण करने से प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि को प्रयुक्त करने के उद्देश्य से "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश सं. 2598/77-3-20-21एम/19 दिनांक 26 नवंबर 2020 में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रस्तर 2-[5] में यह प्राविधान किया गया है कि **"परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल का मोनिटाइजेशन (मुद्रीकरण) किया जाए और इसके लिए N.H.A.I. में प्रचलित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।"**

इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। परन्तु मुद्रीकरण प्रकिया में लगने वाले समय का विवरण देते हुए यह अवगत कराया गया कि मुद्रीकरण राशि उपलब्ध होने में उक्तानुसार लगने वाले समय के दृष्टिगत यूपीडा को भूमि क्रय हेतु यह **धनराशि जून 2021 तक प्राप्त नहीं हो सकेगी जबकि उक्त-संदर्भित दिनांक 26 नवंबर 2020 के शासनादेश में यह अपेक्षा की गई है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य समाप्त करके जून 2021 में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए।** विषयान्तर्गत एस0बी0आई0 कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी सलाह दी गई है कि निकट भविष्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक भी आगर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट होगा, जिससे टॉल राजस्व में अपेक्षाकृत काफी अभिवृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह सुझाव दिया है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल संग्रहण के मुद्रीकरण को कुछ समय के लिए विलम्बित करके टॉल संग्रहण के सिक्योरिटाइज़ेशन के सापेक्ष यूपीडा द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त किया जाए तो भूमि क्रय हेतु धन की व्यवस्था प्रक्रिया कम समय, लगभग दो से तीन माह, में पूर्ण की जा सकेगी, तथा निकट भविष्य में मुद्रीकरण राशि में भी काफी अभिवृद्धि होगी। **अतः मुद्रीकरण के स्थान पर धनराशि व्यवस्था हेतु सिक्योरिटाइजेशन के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।** निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन के उपरान्त इस प्रस्ताव पर शासन से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तदनुसार निदेशक मण्डल द्वारा

सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निम्नवत् संकल्प पारित किया गया।

संकल्प:- निदेशक मण्डल की 19 जनवरी 2021 को सम्पन्न बैठक में निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत अतिरिक्त एजेंडा बिन्दु सं. 1 पर सम्यक विचारोपरान्त आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के पथकर-राजस्व के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं इस संबंध में यूपीडा को अधिकृत करने हेतु नीतिगत सैद्धान्तिक निर्णय लिये जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त करने एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया।"

एजेण्डा बिन्दु में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि इस ऋण हेतु आवश्यक ''रेटिंग'' कराये जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित रेटिंग एजेन्सयों द्वारा आवश्यक रेटिंग करा ली जाए, जिससे न्यून्तम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त हो सके।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.01.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 19.01.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी